

प्रपत्र-2
(नियम 24(1) देखें)
पंजीयन प्रमाण-पत्र



श्रम विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

संख्या 43/रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय

तारीख 3/1/2019

भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकार(नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम 1948 की धारा 7 की उपधारा (3) के और अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उपान्त के अधिकृत शर्तों के अधीन रहते हुए को निम्नलिखित विशिष्टियों से युक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है:-

1	उस स्थान का डाक पता/अवस्थित जहां नियोजक द्वारा भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य किया जाना है	बजाज इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, इटहवा, पौड़ी गंज, बाराभर
2	नियोजक का नाम और पता जिसमें भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य की अवस्थिति भी सम्मिलित है	श्री जयशंकर मिश्रा-तीनर मैर बजाज इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, उत्तरांचल, बाराभर
3	स्थापन का नाम व स्थायी पता	बजाज इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, उत्तरांचल, बाराभर
4	उस कार्य की प्रकृति जहां भवन निर्माण कर्मकार नियोजित हैं या नियोजित किए जाने हैं	धार्मिक बावर्
5	कार्य के प्रारम्भ होने और समाप्त होने की सम्भावित तारीख	कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 31-12-2018 कार्य समाप्त होने की तिथि 31-12-2019
6	भवन निर्माण कर्मकारों के नियोजन के लिए सूचीगत अन्य विशिष्टियाँ	

(एस. डी. शर्मा)
पंजीयन अधिकारी
उपश्रम विभाग, पंजीयन
मुद्रा के साथ

अनुपालन:-

- यहां ऊपर प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्:-
- रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अस्थानान्तरणीय होगा।
 - किसी भी दिन नियोजित कर्मकारों या स्थापन में भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी।
 - इन नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के प्रदान के लिए सरल की गयी फीस अप्रतिदेय होगी।
 - भवन निर्माण कर्मकारों को नियोजक द्वारा संदेय मजदूरी दर, ऐसे नियोजन में जहां यह लागू है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 2) के अधीन निर्दिष्ट दरों से कम नहीं होगी और जहां दर किसी करार, समझौते या पंचाट द्वारा नियंत्रित की गयी है, यहां इस प्रकार नियत दरों से कम नहीं होगी।
 - नियोजक अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों का अनुपालन करेगा।
